के. शांतराज और अन्य

बनाम

एम. एल. नागराज और अन्य.

9 मई, 1997

[के. रामास्वामी और डी. पी. वाधवा, जे. जे.]

कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959।

Ss.30 और 30-A-सहकारी समिति की समिति-सुपर सेडेड-प्रशासक नए सदस्यों का नामांकन और समय सारिणी देना समिति के चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम-आयोजित, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि प्रशासक के पास नए सदस्यों को नामांकित करने का कोई अधिकार नहीं हैःलेकिन उसके पास समिति के अधिनियम, नियमों और उप-कानूनों के प्रावधानों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया आयोजित करने की शक्ति है-बोर्ड या निदेशक मंडल द्वारा नए सदस्यों के नामांकन के लिए एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश, जैसा भी मामला हो, उप-कानून संख्या 115 डी के अनुसार।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील Nos.4271-73 1997 से।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 17.3.97 दिनांकित निर्णय और आदेश डब्ल्यू. ए. सं. 1464-66/1994 ।

एन. संतोष हेगड़े, दयान कृष्णन, निखिल नायर आ बी. सुनीता राव अपीलार्थियों के लिए।

सलमान खुर्शीद, विवेक रेड्डी और ई. सी. विद्या सागर प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

अनुमति दे दी गई।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ता को सुना।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें के फैसले से उत्पन्न होती हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ, 17 मार्च, 1997 को अपील Nos.1464-66/94 से उत्पन्न होती है।

निर्विवाद तथ्य यह है कि समिति को प्रशासक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे सरकार द्वारा सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है, प्रशासन की अवधि के आगे तक, प्रशासक ने नए सदस्यों का नामांकन किया था और उत्तरदाताओं को चुनाव आयोजित करने के लिए कार्यक्रम की अनुसूची दी थी। एकल न्यायाधीश द्वारा जिसमें नियुक्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा गया था कि प्रशासक को नए सदस्यों का नामांकन करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वह समिति की समिति के लिए चुनाव कर सकता है, जिसकी पुष्टि खंडपीठ ने की है

कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 की धारा 30 और सी 30-ए में की गई थी।

"30. समिति का अधिवेसनः

(1) यदि, पंजीयक की राय में

(क) किसी सहकारी समिति की समिति लगातार चूक करती है या इस अधिनियम या नियमों या उप-कानूनों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लापरवाही करती है या कोई ऐसा अधिनियम करती है जो समाज या उसके सदस्यों के हित के लिए प्रतिकूल है या अन्यथा ठीक से काम नहीं कर रहा है; या

(ख) एक सहकारी समिति इस अधिनियम, नियमों या उप-कानूनों या किसी आदेश के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है या राज्य सरकार या पंजीयक द्वारा जारी किया गया निर्देश, पंजीयक समिति को यह बताने का अवसर देने के बाद दे सकता है कि उसकी आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो लिखित आदेश में उक्त समिति को हटा दिया जाता है और पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सोसायटी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

(2) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक के नियंत्रण के अधीन होगा - पंजीयक और ऐसे निर्देश जो वह समय-समय पर दे सकता है, समिति या सहकारी समिति के

किसी अधिकारी के सभी या किसी भी कार्य का प्रयोग करता है और ऐसी कार्रवाई करता है जो वह समाज के हित में आवश्यक समझे।

(3) प्रशासक अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले के. शांताराज बनाम एम. एल. नागराज इस अधिनियम, सहकारी समिति के नियमों और उप-कानूनों के अनुसार चुनाव कराने के बाद एक नई समिति के गठन की व्यवस्था करना।

बशर्ते कि ऐसे चुनाव में उप-धारा (1) के तहत हटाए गए समिति का कोई भी सदस्य किसी भी चीज के बावजूद नहीं होगा। इस अधिनियम में निहित नियम या उपनियम, होने के लिए पात्र होंगे चार साल की अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में चुना गया उक्त उप-धारा के तहत समिति के अधिक्रमण की तारीख से। बशर्ते कि यदि समिति एस के अनुसार चुनी जाती है इस उप-धारा को भी इसके चुनाव की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर हटा दिया जाता है, ऐसा अधिक्रमण एक अवधि तक बढ़ सकता है।तीन वर्ष से अधिक नहीं।

30A, विशेष अधिकारी का नियुक्ति

(1) जहां राज्य सरकार को पंजीयक द्वारा या अन्यथा दी गई किसी रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि कोई सहकारी समिति इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या उसके उप-कानूनों या राज्य सरकार या पंजीयक द्वारा जारी किसी आदेश, निर्देश परिपत्र के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो वह इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, आदेश द्वारा ऐसी

सहकारी समिति के लिए एक विशेष ई अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है जो ऐसी अवधि के लिए हो जो 2 वर्ष से अधिक न हो।बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि वह इसे आवश्यक समझती है, तो उक्त अवधि को दो साल तक बढ़ा सकती है। अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं।

(3) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन विशेष अधिकारी को-ऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी समिति की सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन करने के लिए कुलसचिव सहकारी समिति के अधिकारी और ऐसे सभी कार्य करें जो सहकारी समिति के हित में आवश्यक हों।

इन प्रावधानों की भाषा से यह स्पष्ट होगा कि प्रशासक या विशेष अधिकारी, समाज के किसी भी कार्य के नियंत्रण के अधीन, और समाज के हित में ऐसी कार्रवाई करता है जो कानून के अनुसार समाज के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है।एक चुनाव आयोजित करना जैसा कि अन्य शब्दों में कहा गया है, उसे भूमिकाओं के अनुसार सदस्यों के साथ चुनाव आयोजित करना है और आवश्यक निहितार्थ से, उसे सोसायटी के नए सदस्यों को नामांकित करने की शक्ति निहित नहीं है।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस प्रकार निर्णय दिया हैः

"प्रशासक द्वारा नामांकित नए सदस्य अनुपस्थित हैं। कानून का अधिकार और समाज के उप-कानूनों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए और उन्हें चुनाव में

भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, अधिनिर्णय के आदेश को अमान्य घोषित कर दिया जाता है, चुनाव उस चरण से आयोजित किया जाना चाहिए जब इसे जल्द से जल्द रोका गया था । जो सदस्य रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान नामांकित हैं, वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे और विज्ञापन मंत्री घटनाओं के नए कैलेंडर के साथ चुनाव को अधिसूचित करेगा और उन सदस्यों के साथ चुनाव कराएगा जो तब अस्तित्व में थे जब डब्ल्यू. पी. संख्या 16378/92 सामान्य निकाय या बोर्ड या सामान्य निकाय द्वारा चुने गए निदेशकों की संख्या प्रशासक द्वारा नामांकित नए सदस्यों के आवेदन पर मानदंड या योग्यता को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी। उप-कानून 15 और उचित विचार के बाद उप-कानून के अनुसार उनके आवेदन का निपटारा करें।

डिवीजन बेंच ने विस्तृत विचार के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए उपरोक्त निष्कर्ष पर सहमति व्यक्त की है और इस प्रकार निर्णय दिया हैः

"तदनुसार, वह नए सदस्यों का नामांकन करने का हकदार नहीं है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केरल सहकारी समिति अधिनियम की धारा 33 (2) के शब्द केरल अधिनियम की धारा 30 के शब्दों से थोड़े अलग हैं । केरल अधिनियम प्रशासक के पास समिति के सभी या किसी भी कार्य का प्रयोग करने की शक्ति है, जबकि कर्नाटक अधिनियम में, प्रशासक केवल के सभी या किसी भी कार्य का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि पहले कहा गया है, एक प्रशासक और एक विशेष अधिकारी में निहित प्राधिकरण में अंतर, जैसा कि

कर्नाटक अधिनियम में किया गया है, एक प्रशासक और कर्नाटक अधिनियम में एक विशेष अधिकारी में निहित प्राधिकरण में केरल अंतर में नहीं माना जाता है।कर्नाटक अधिनियम की धारा 30 और 30ए के तहत क्रमशः नियुक्त एक प्रशासक और एक विशेष अधिकारी के तुलनात्मक प्राधिकरण का खनन।

ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हैं और इन आपीलो निर्देश को खारिज करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए चुनाव के संबंध में संबंधित प्रतिवादी द्वारा इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष हेगड़े का तर्क है कि चूंकि प्रशासक के पास चुनाव कराने की शक्ति है, इसलिए आवश्यक निहितार्थ से, उनके पास या तो नए सदस्यों का नामांकन करके या सदस्यों के कानूनी प्रतिनिधियों को उप-कानूनों के अनुसार प्रतिस्थापित करके चुनावी सूचियों को अद्यतन करने की शक्ति है; इसलिए, उन्हें यह पता लगाने की शक्ति है कि प्रशासक की शक्ति में कोई बल नहीं है कानून के तहत चुनाव कराने के लिए इसके भीतर सीमित होना चाहिए अधिनियम, नियम और उपखंड पीठ के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित मापदंडों ने सभी प्रश्नों पर बारीकी से और सावधानी से विचार किया है और विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ सहमति व्यक्त की है कि प्रशासक के पास नए सदस्यों को नामांकित करने की कोई शक्ति नहीं है; लेकिन उसके पास अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उप-कानूनों

के अनुसार चुनाव प्रक्रिया आयोजित करने की शक्ति है।उस परिपेक्ष में हम यह पाते हैं कि उच्च न्यायालय में कोई त्रुटि नहीं की जो हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है ।

अपील तदनुसार हम बोर्ड या निदेशक मंडल द्वारा नए सदस्यों के नामांकन के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश की पुष्टि करते हैं, जैसा भी मामला हो, उप-कानून No.15 के अनुसार और उनका निपटारा करते हैं । कोई खर्चा नहीं ।

अपील खारिज कर दी गई।

आर. पी.